(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7263-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-9-2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार प्रकरण क्रमांक 6/15-16/धारा 48ख/33.

Mahle Engine Components India Pvt Ltd
Plot No. 9, 10 & 11 Sector 3, Kheda
Industrial Areaa, Pithampur, distt. Dhar M.P.
Through its Authorised signatury .....अपीलार्थी

विरूद्ध

State of Madhya Pradesh
Collector of Stamps, Collector Office
Dhar .....प्रत्यर्थी

श्री प्रदीप पटवर्धन, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित दिनांक 21-9-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत scheme of amalgamation आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक कम्पनी की ओर से कम्पनी सेक्रेटरी Mr. Kunal Thakur एवं अन्य Mr. S.M. Aun द्वारा आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा कम्पनी याचिका क्रमांक 22/2014 में पारित आदेश दिनांक 28-11-2014 एवं माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-14 scheme of amalgamation between mahale IPL limited and Mahle Engine Components India Pvt limited (MECIPL) MOA & AOA of company तथा valuation report of share प्रस्तुत किये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/15-16/धारा 48-ख/33 दर्ज कर दिनांक 21-9-2016 को आदेश

पारित कर आवेदक को कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 6,98,32,399/- तथा शास्ति रूपये एक लाख कुल रूपये 6,99,32,399/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं :-

1. Collector of Stamps has erred in valuing the immovable property acquired in the amalgamation in the tune of Rs. 96,32,05,502/- As per scheme of amalgamation only the shares in the proportion of "One fully paid up equity shares of Rs. 10 each of MECl shall be issued and allowed against every 3.0116 fully paid up equity shares of Rs. 10 each of MIPL held by such shareholder of MIPL" has been transferred. According to which 3460349 no. of shares were issued as New Equity shares. The total value of such new equity shares is Rs. 92,18,36,973.60/- And therefore the stamp duty is payable on the value of New Equity shares.
2. Because, no stamp duty is payable by the applicant on the market value of the immovable property, as the said property situated in the state of Tamil Nadu and not in the State of Madhya Pradesh.
3. Because the collector of stamps has erred in directing the applicant to deposit stamp duty on the market value of immovable property.
4. Because, no stamp duty has been fixed in the Indian Stamp Amendment Act 2014 in the respect of the amalgamated scheme which has been approved by High Court under Companies Act 1956.
5. Because, the learned collector of stamps has erred in imposing penalty of Rs. 1,00,000/- upon the applicant. The applicant was not heard on the question of penalty, before imposing such penalty.

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक कम्पनी द्वारा स्कीम की कंडिका 14.1 के अनुसार स्कीम के माध्यम से रूपये 15 करोड़ के शेयर मर्ज किये गये है, जिस पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 6,98,32,399/- देय है । इसके अतिरिक्त कंडिका 14.1 के अनुसार memorandam of association Amalgamation company में authorised share capital में संशोधन होने के कारण आवेदक कम्पनी अधिनियम के अनुच्छेद के अनुसार मुद्रांक शुल्क शुल्क भी चुकाये । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित कर आवेदक कम्पनी को कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 6,98,32,399/- एवं शास्ति रूपये 6,99,32,399/- जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित दिनांक 21-9-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर